

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

अधि० सं०:- 403836
ग्रा०वि०, पटना, दिनांक:- 31/12/18
ग्रा०वि०-3/स्था०-1-40/18

बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 56वीं से 59वीं सम्मिलित संयुक्त परीक्षा के आधार पर बिहार पुलिस सेवा के लिए प्राप्त अनुशंसा के आलोक में गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-11621 दिनांक 17.12.18 द्वारा श्री राजीव कुमार की वेतनमान-लेवेल-9 (रू०-53,100-1,67,800) में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ परीक्ष्यमान पुलिस उपाधीक्षक के रूप में औपबंधिक रूप से नियुक्ति की गयी है।

उक्त नियुक्ति के फलस्वरूप श्री राजीव कुमार, ग्रामीण विकास पदाधिकारी सह प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, छौडादानों (पूर्वी चम्पारण) द्वारा पुलिस उपाधीक्षक के पद पर योगदान करने हेतु विरमित करने का अनुरोध किया गया है।

अतः श्री राजीव कुमार से प्राप्त आवेदन पर विचार करते हुए श्री राजीव कुमार (अनुक्रमांक-142719), ग्रामीण विकास पदाधिकारी सह प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, छौडादानों (पूर्वी चम्पारण) को परीक्ष्यमान पुलिस उपाधीक्षक के पद पर योगदान करने हेतु निम्नांकित शर्तों के साथ विरमित किया जाता है :-

- (i) ग्रामीण विकास पदाधिकारी के रूप में बितायी गयी अवधि कर्तव्य अवधि का वेतनादि का भुगतान देय होगा।
- (ii) बिहार सेवा संहिता के नियम-157 के तहत श्री राजीव कुमार घोषणा पत्र समर्पित करेंगे कि उनके विरुद्ध किसी प्रकार का बकाया आदि नहीं है।
- (iii) श्री राजीव कुमार का विद्यमान पद-ग्रामीण विकास पदाधिकारी के पद पर गहणाधिकार (Lien) नहीं होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राधा शर्मा झा)

सरकार के संयुक्त सचिव

जापांक:- 403836

दिनांक:- 31/12/18

ग्रा०वि०-3/स्था०-1-40/18

प्रतिलिपि- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

जापांक:- 403836

दिनांक:- 31/12/18

सरकार के संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना को अधिसूचना, संख्या 11621 दिनांक 17.12.18 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

जापांक:- 403836

दिनांक:- 31/12/18

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

जापांक:- 403836

दिनांक:- 31/12/18

सरकार के संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि:- आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर / जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण / उप विकास आयुक्त, पूर्वी चम्पारण / कोषागार पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

जापांक:- 403836

दिनांक:- 31/12/18

सरकार के संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि:- श्री राजीव कुमार, ग्रामीण विकास पदाधिकारी सह प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, छौडादानों (पूर्वी चम्पारण) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. अनुरोध है कि सेवा संहिता के नियम 157 के तहत जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण को घोषणा पत्र समर्पित करेंगे कि उनके विरुद्ध किसी प्रकार का बकाया आदि नहीं है ।

जापांक:- 403836

दिनांक:- 31/12/18

सरकार के संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ श्री सुनील कुमार, आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ), ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव